आदेश व इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 476/2025 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

यूको बैंक, शाखा– टोंक रोड़, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स ए. जे. फेब्रिकेशन इंडस्ट्री जरिये पार्टनर्स श्री श्रेयांस जैन एवं श्रीमती शुभांगी जैन,
   पताः– ग–3, प्लॉट नं. 59, परमहंस कॉलोनी, मुरलीपुरा, जयपुर।
   अन्य पताः– 24 ए, कृष्णा विहार रोड़ नं. 19, वी. के. आई. औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर।
   अन्य पताः– एस. पी. 818, ई रोड़ नं. 14, वी.के.आई. औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर।
2. श्री श्रेयांस जैन पुत्र श्री मेघ कुमार जैन (मैसर्स किरण इलेक्ट्रिकल्स),
3. श्रीमती शुभांगी जैन पत्नी श्री श्रेयांश जैन,
   पताः– सी–97, श्याम मार्ग, शास्त्री नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणीएवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित: श्रीमती अंजुम, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश दिनांक 24.07.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी मैसर्स ए. जे. फेब्रिकेशन इंडस्ट्री के स्वामित्व की चल संपत्ति समस्त स्टॉक, फिनिशड गुड्स, प्लान्ट, मशीनरी, बुक डेब्ट्स आदि को हाईपोथिकेट कर दिनांक 15.12.2021 को राशि 09,50,000/– रूपये, दिनांक 09.09.2024 को राशि 52,00,000/– रूपये कुल राशि 61,50,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 20.01.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास हाईपोथिकेटेड चल सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्ती संस्थान ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 61,50,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति हाईपोथिकेशन के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 63,06,026.77/–रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 20.01.2025 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नही दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नही किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था हाईपोथिकेटेड रखी गई चल सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में हाईपोथिकेट रखी गई चल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शाक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी मैसर्स ए. जे. फेब्रिकेशन इंडस्ट्री के स्वामित्व की बंधक चल संपत्ति समस्त स्टॉक, फिनिशड गुड्स, प्लान्ट, मशीनरी, बुक डेब्ट्स आदि का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

9. आदेश आज दिनांक 24.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner